मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में उद्योग

1742. **श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में नये उद्योगों की स्थापना करने के लिए किन-किन कम्पनियों को लाइसेंस दिये गये हैं और क्या यह सच है कि वे कम्पनियां अभी तक उन उद्योगों को प्रारम्भ नहीं कर पाई है ;

(ख) इन उद्योगों की स्थापना के लिये उन कम्पनियों ने कितनी समय सीमा निर्धारित की थी और किन कारणों से निश्चित अवधि के अन्दर ये उद्योग स्थापित नहीं किये जा सके ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ऐसी कम्पनियों को जारी किये गये लाइसेंसों अथवा आशय पत्रों को निरस्त करने का विचार रखती है ?

f [Industries in Baitul, Madhya Pradesh

1742. SHRI V. K. SAKHLECHA: Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) the names of the companies which have been granted licences during the last five years for establishing new industries in Baitul district' of Madhya Pradesh and whether it is a fact that they have not been able to start these industries so far;

(b) the time limit set out by them for the establishment of these industries and the reasons for which the industries could not be established within the specified time; and

(c) whether the Central Government propose to cancel licences or letters of intent issued to such companies?

f[ ] English translation.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) 1970 से 1974 (जनवरी-अक्तूबर) की अवधि में विशेष रूप से मध्य प्रदेश के बेतुल जिले में उद्योग की स्थापना करने के लिए कोई भी औद्योगिक लाइसेंस अथवा आशय पत्र नहीं दिया गया है। हां, मध्य प्रदेश सरकार ने अब सूचित किया है कि श्री डी० आर० गांधी, नूरमहल, भोपाल जिन्हें 1972 में इटारसी में इंजिन के वाल्व बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिए एक आशय पत्र दिया गया था, अब अपना कारखाना बेतूल में लगा रहे हैं।

(ख) और (ग) : उपर्युक्त आशय पत्र कार्यान्वित किया जा रहा है।

t [iTHE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI B. P. MAURYA): (a) During the period 1970 to 1974 (January—October) no industrial licence or letter of intent has been issued specifically for location in Baitul district of Madhya Pradesh. However, the State Government of Madhya Pradesh has now infromed that Shri D. R. Gandhi. Noor Mahal, Bhopal, who was granted a letter of intent for the manufacture of engine valves for location at Itarsi in 1972 is putting up his unit at Baitul.

(b) and (c) The above mentioned letter of intent is under implementation.]

दिल्ली में बेंक गाड़ीं डकैती का मामला

1743. **श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 अगस्त, 1973 को दिल्ली में हुई बैंक गाड़ी डकैती के मामले पर अन्तिम रूप से निर्णय हो चुका है ;